न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– यश कुमार बनाम चुन्नीलाल आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 28 वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 बावजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधिनियम में अंकित प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि कृषि भूमि ख0नं0 2715,2716,2737, 2738 कुल किता 4 कुल रकबा 3.82 है0 वाके ग्राम शिश्यू प0ह0शिश्यू तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। साथ ही ख0नं0 387, 391, 392, 393, 394, 408, 409, 410, 411, 415, 416, 417,418,419,420 कुल किता 15 कुल रकबा 4.68 है0 ग्राम राणोली प0ह0 राणोली तहसील दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। आवेदन की मद सं0 2 व 3 में वर्णित भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी के पडदादा व प्रति0सं0 2 व 3 के दादा डूंगाराम के नाम हक व हिस्सा अंकित रहा है तथा डूंगाराम की मृत्यु के बाद विरासतन खातेदारी में प्रार्थी के दादा व वाद के प्रति0सं0 2 व 3 के पिता 1/5 भाग की खातेदारी अंकित चली आ रही व इनकी की पैतृक कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मद सं0 2 में वर्णित भूमियों में से ख0नं0 2715 व 2716 में से अपना संपूर्ण हक हिस्सा अन्यों को विक्रय कर दिया है, जिसके बाबत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के पुत्र महेश का वारिस है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी का उक्त भूमियों पर जन्म से ही हक, हिस्सा है तथा मौके पर प्रार्थी अपने पिता महेश की मृत्यु के बाद जरिये संरक्षिका प्रति0सं0 1 के 1/5 हक व हिस्से की भूमि में से 1/4 अर्थात् संपूर्ण भूमि में से 1/20 अपने हिस्से पर काबिज है इसलिए प्रार्थी आवेदन की मद सं0 2 में वर्णित भूमियों मे से ख0नं0 2737 रकबा 0.82 है0, 2738 रकबा 0.87 है0 में से 1/5 में 1/4 तथा मद सं0 3 में वर्णित कृषि भूमियों में से 1/5 में से 1/4 हिस्से की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र अं0 धारा 212 रा0का0अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का अंतिम निस्तारण वाद के गुणावगुण व मेरिट के आधार पर होना है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आए है। पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।	

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख0नं0 ख0नं0 387, 391, 392, 393, 394, 408, 409, 410, 411, 415, 416, 417,418,419,420 कुल किता 15 कुल रकबा 4.68 है0 ग्राम राणोली प0ह0 राणोली तहसील दांतारामगढ़,सीकर व ख0नं0 2737 रकबा 0.82 है0 ख0नं0 2738 रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner